

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 399 सन 2021

अनवान :-

1. चोकनखां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मुमताज खां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हबीबखां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. जमीला बेवा फेज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सहीदन बानों पुत्री फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
3. रूकसाना पुत्री फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
4. बिस्मिला पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
5. उल्फत पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
6. मोहम्मद सालिक पुत्री बतुल बानों जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
7. साजिद बानु पुत्री बतुल बानो जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
8. बेगम बानों पुत्री बतुल बानो जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
9. सलीम खान पुत्र जगू बानों पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
10. छोटू पुत्र जनू बानों पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
11. मकसुद पुत्र जनू बानो पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सकिला बानो पुत्री जनू बानो पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी


पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 654/138 की कुल 3.0350 हैक् मे से 1/3 हिस्सा , रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 258/249 की कुल 9.1050 हैक् मेंसे 1/3 हिस्सा , रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 299/307 की कुल 1.6690 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूर मोहम्मद एवं फैज मोहम्मद के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक नूर मोहम्मद एवं उसके मृतक फेज मोहम्मद के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता एवं भाई है नूर मोहम्मद के जाजय व कानुनी वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया फेज मोहम्मद , वादी , मृतक बहन जनू , बिस्मिला , बतुल बानों, उल्फत है जनू बानो फोट हो चुकी है जिसमे वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 है मृतक बतुल बानों के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 है वादी के भाई मृतक फेज मोहम्मद के जायज वारिसान वादी संख्या 2 ,3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इस प्रकार नूर मोहम्मद एवं फेज मोहम्मद के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो मृतक नूर मोहम्मद एवं फेज मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 2 ,3 की माता है, प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादीगण की बहने, प्रतिवादी संख्या 4 ,5 नूर मोहम्मद की पुत्रीया , प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 मृतक बतुल बानो एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 जनू बानो के वारिस है जो नूर मोहम्मद की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की नूर मोहम्मद एवं फेज मोहम्मद के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की वाद भूमि नूर मोहम्मद एवं फेज मोहम्मद के नाम से दर्ज है जो वादी संख्या 2, 3 के पिता एवं वादी संख्या 1 के पिता व दादा है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 654/138 की कुल 3.0350 हैक् मे से 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 258/249 की कुल 9.1050 हैक् मेंसे 1/3 हिस्सा, रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 299/307 की कुल 1.6690 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूर मोहम्मद एवं फेज मोहम्मद के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक नूर मोहम्मद एवं उसके मृतक फेज मोहम्मद के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता एवं भाई है नूर मोहम्मद के जाजय व कानुनी वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया फेज मोहम्मद, वादी, मृतक बहन जनू, बिस्मिला, बतुल बानों, उत्पत्त है जनू बानो फोट हो चुकी है जिसमें वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 है मृतक बतुल बानों के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 है वादी के भाई मृतक फेज मोहम्मद के जायज वारिसान वादी संख्या 2, 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इस प्रकार नूर मोहम्मद एवं फेज मोहम्मद के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो मृतक नूर मोहम्मद एवं फेज मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 2, 3 की माता है, प्रतिवादी संख्या 2, 3 वादीगण की बहने, प्रतिवादी संख्या 4, 5 नूर मोहम्मद की पुत्रीया, प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 मृतक बतुल बानो एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 जनू बानो के वारिस है जो नूर मोहम्मद की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 654/138 की कुल 3.0350हैक् मे से 1/3 हिस्सा , रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 258/249 की कुल 9.1050हैक् मेंसे 1/3 हिस्सा , रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 299/307 की कुल 1.6690हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूर मोहम्मद एवं फ़ैज मोहम्मद के नाम से दर्ज है।


वादीगण का कथन है वाद भूमि नूर मोहम्मद एवं फ़ैज मोहम्मद के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 सजरा खानदान के अनुसार है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया वादीगण ने अपने कथनों की पूर्ष्टि में मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पेश किया जिससे वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 654/138 की कुल 3.0350हैक् मे से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक नूर मोहम्मद के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , एवं वादीगण संख्या 2 ,3 बहिब 1/6 हिस्सा एवं, रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 258/249 की कुल 9.1050हैक् मेंसे 1/3 हिस्सा भूमि मृतक नूर मोहम्मद के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा, एवं स्वयं के नाम दर्ज 253/3035 हिस्सा यथावत रहेगा, वादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/6 हिस्सा व मृतक फ़ैज मोहम्मद के नाम दर्ज 253/3035 हिस्सा के वादी संख्या 2 ,3 दोनो बहिब तथा रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 299/307 की कुल 1.6690हैक् में से 1/3 हिस्सा मृतक फ़ैज मोहम्मद के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 2 ,3 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. चोकनखां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मुमताज खां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. हबीबखां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. जमीला बेवा फेज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सहीदन बानों पुत्री फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
3. रूकसाना पुत्री फैज मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
4. बिस्मिला पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
5. उल्फत पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
6. मोहम्मद सालिक पुत्री बतुल बानों जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
7. साजिद बानु पुत्री बतुल बानो जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
8. बेगम बानों पुत्री बतुल बानो जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
9. सलीम खान पुत्र जगू बानों पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
10. छोटू पुत्र जनू बानों पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर
11. मकसुद पुत्र जनू बानो पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सकिला बानो पुत्री जनू बानो पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 399 सन 2021 निर्णय दिनांक- 07/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 654/138 की कुल 3.0350 हैक् मे से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक नूर मोहम्मद के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा, एवं वादीगण संख्या 2, 3 बहिब 1/6 हिस्सा एवं, रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 258/249 की कुल 9.1050 हैक् मेंसे 1/3 हिस्सा भूमि मृतक नूर मोहम्मद के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा, एवं स्वय के नाम दर्ज 253/3035 हिस्सा यथावत रहेगा, वादी संख्या 2, 3 बहिब 1/6 हिस्सा व मृतक फेज मोहम्मद के नाम दर्ज 253/3035 हिस्सा के वादी संख्या 2, 3 दोनो बहिब तथा रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 299/307 की कुल 1.6690 हैक् में से 1/3 हिस्सा मृतक फेज मोहम्मद के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 2, 3 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर